वह जमींन सभी प्रकार से विवादमुक्त पायी जाय तभी उसकी बन्दोबस्ती उस आवेदक सैनिक के साथ किया जाय। सैनिक के साथ जमींन बन्दोबस्ती करने की शक्ति पूर्ववत जिला के समाहर्त्ता को ही होगी। अपनी शक्ति के प्रयोग में जिला के समाहर्त्ता देहाती क्षेत्रों के गैर मजरूआ मालिक/खास जमींन की ही बन्दोबस्ती करेंगे। विषयगत जमींन शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है।

3. 16/– रैयतों पर निर्गत नोटिस का बिना तामिला का ही प्रतिवेदन के साथ वापस किया गया है जिसमें उल्लेख है कि 16/– रैयतों को नोटिस पर हस्ताक्षर कराने से एवं नोटिस लेने से इन्कार किया। जबकि बन्दोबस्ती के पूर्व 16/– रैयतों पर नोटिस का तामिला विधिवत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन विपक्षी के साथ किया गया बन्दोबस्ती नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

(197)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 09/2015–16

मेघनाथ शर्मा ..... आवेदक

बनाम

संजय कुमार गुप्ता ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

13/05/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 09/2015–16 मेघनाथ शर्मा बनाम् संजय कुमार गुप्ता, डंगालपाड़ा, दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के रे0मि0 वाद सं0 243/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2015 एवं एवं एस0आर0 वाद सं0 57/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा नेतरपहाड़ी के जमाबन्दी सं0 139 के दाग सं0 149 पुरातन पतीत रकवा 04–09–11 धूर जमींन बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इस अंचल अधिकारी, दुमका से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उनके अनुशंसा के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के साथ उक्त जमींन की बन्दोबस्ती किया गया। चुँकि विपक्षी भूमिहीन विस्थापित रैयत एवं सैनिक है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

अभिलेख में आवेदक द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में समर्पित अंचल अधिकारी का प्रवितेदन एवं 16/– रैयतों पर निर्गत नोटिस आदि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि–

1. आवेदित दाग सं0 149 मौजा नेतरपहाड़ी, दुमका जिला मुख्यालय से 08 कि0मी0 एवं प्रखंड मुख्यालय से 02 कि0मी0 के अन्तर्गत है। तत्कालीन उपायुक्त, दुमका के पत्रांक 554/रा0 दिनांक 30.07.2008 के अनुसार दुमका जिला मुख्यालय के आसपास के 08 कि0मी0 तथा प्रखंड मुख्यालय से 02 कि0मी0 के आसपास के गाँवों में उपलब्ध सरकारी जमींन को किसी व्यक्ति के नाम से बन्दोबस्त नहीं किया जाय।
2. बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्र सं0 4/खा0स0 नीमित–101/72–4725 पटना, दिनांक 14/16 अगस्त 1972 में सैनिक के साथ सरकारी जमींन का बन्दोबस्ती हेतु दिए गये निदेश के अनुसार आवेदक सैनिक स्वयं किसी जमींन की बन्दोबस्ती का आवेदन करें तो स्थानीय पदाधिकारी द्वारा उक्त जमींन की पूरी जांच पड़ताल करा ली जाय और जब